(1)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
434/11	21.07.2010	17.04.2015

पीठासीन अधिकारीः— श्री कन्हैयालाल मीमरोट {आर.ए.एस.}

1. मंदिर मूर्ति बालाजी महाराज विराजमान ग्राम नयागांव तह चौथ का बरवाडा जरिये पुजारी व्यवस्थापक गोपीचन्द पुत्र गेन्दया जाति जोगी निवासी नयागांव तह चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

———वादी

बनाम

1. कंवरपाल पुत्र रामनाथ
2. बजरंगा पुत्र रामनाथ
3. सुखपाल पुत्र रामनाथ
4. .सीताराम पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी नयागांव तह चौथ का बरवाडा
5. रामनारायण पुत्र गिरधारी जाति गुर्जर
6. रमेश पुत्र हजारी
7. रामस्वरूप पुत्र हजारी
8. रामनिवास पुत्र हजारी जाति बैरागी वैष्णव निवासी नयागांव तह चौथ का बरवाडा।

9.सरकार जरिए लेण्ड होल्डर तहसीलदार चौथ का बरवाडा

———प्रतिवादीगण

वादी की और से श्री रघुवीर सिंह राजावत एड0

प्रतिवादीगण की और से श्री सुधीर कुमार जैन एड0

वाद पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाई माधोपुर के यहाँ प्रस्तुत किया था कि मंदिर मूर्ति बालाजी महाराज विराजमान ग्राम नयागांव तह चौथ का बरवाडा के नाम में खसरा नम्बर 424 रकबा 1.61है0 व खसरा नम्बर 425 रकबा 0.05है0 कुल किता 2 रकबा 1.66है0 भूमि खातेदारी है। मंदिर की सेवा पूजा वादी गो... करता है तथा उक्त भूमि पर वादी गोपीचन्द का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वादी बहैसियत पूजारी, व्यवस्थापक भूमि को काश्त करता चला आ रहा है। वादी उक्त भूमि से प्राप्त आमदनी से मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा देखभाल करता आया है। प्रतिवादीगण 1लगायत 8 का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है। प्रतिवादीगण एक गिरोहबन्द व्यक्ति है जो लठ के बल पर वादी से मंदिर मूर्ति की भूमि को छीनने पर आमादा हो रहे हैं। प्रतिवादीगण 1लगायत 8 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Damod...
Date: 2025.09.17 10:28:4...
Reason: SelfAttested

स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे की मंदिर मूर्ति बालाजी महाराज की खातेदारी भूमि ख.न.424 , 425 कुल रकबा 1.66है0 ग्राम नयागांव से वादी के पुजारी व्यवस्थापक गोपीचन्द जोगी को भूमि काश्त करनें में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें और न ही किसी अन्य के मारफत करावें।

न्यायालय द्वारा वादी का दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की जरिए नोटिस तलबी की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी गोपीचन्द के अधिकतर बिन्दुओं को अस्वीकार किया तथा विशेष विवरण में उल्लेख किया है कि वादी गोपीचन्द ग्राम नयागांव मूर्ति मंदिर बालाजी का व्यवस्थापक या पुजारी नहीं है इसलिए इसे दावा करनें का अधिकार नहीं है। ख.न. 424 ,425 ग्राम नयागांव मंदिर मूर्ति बालाजी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजी है जो मंदिर मूर्ति बालाजी के नाम राजस्व रिकोर्ड के नाम दर्ज है। इस समय मंदिर की सेवा पूजा प्रतिवादी नम्बर 6 रमेश पुत्र हजारी जाति बैरागी वैष्णव निवासी नयागांव कर रहा है। इसके पहले इसकी सेवा पूजा प्रतिवादी नम्बर 6 के पिता हजारी किया करते थे। वादी गोपीचन्द पुत्र गेन्दया नाथ निवासी नयागांव के पास ग्राम नयागांव में ही करीब 50—60 बीघा स्वयं की खातेदारी भूमि है तथा वह काश्त करता है। वादी ने किसी भी मंदिर की सेवा पूजा नहीं की तथा इस समय भी नहीं करता। वादी का लडका रतनलाल आपाराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। सेटलमेंट के कर्मचारियों की गलती से 2009—2023 की चकबन्दी परचा में गोपी हरनाथ पि. गेन्दया का नाम दर्ज हो गया था जिसे राजस्व विभाग ने दुरस्त कर राजस्व रिकोर्ड से हटा दिया है। प्रतिवादी नम्बर 6 ही मंदिर की भूमि को काश्त कर रहा है।

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा निम्नानुसार तनकियात कायम की गई थी।

1. आया वादी के पुजारी व्यवस्थापक गोपीचन्द जोगी वादी की खातेदारी की भूमि ख.न. 424 रकबा 1.61है0 व ख.न. 425 रकबा 0.05है0 ग्राम नयागांव में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

(वादी)

2. आया गोपीचन्द का नाम बहैसियत व्यवस्थापक या पुजारी मंदिर दर्ज नहीं होने से मंदिर के स्वामित्व की आराजीयात के सम्बन्ध में दावा प्रस्तुत करनें का अधिकार न होनें से दावा खारिज किए जानें योग्य है।

(प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damod
Date: 2025.09.17 10:28:4
Reason: Self-Attested

न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाई माधोपुर के यहां से प्रकरण में दिनांक 12.12.2007 को निम्नानुसार तनकीवार निर्णय पारित किया गया।

1. आया वादी के पुजारी व्यवस्थापक गोपीचन्द जोगी वादी की खातेदारी भूमि ख.न. 424 रकबा 1.61है0 , ख.न. 425 रकबा 0.05है0 वाके ग्राम नयागांव में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करानें का अधिकारी है।

(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करनें का भार वादी पर है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत 2057 में विवादित अराजीयात मंदिर मूर्ति बालाजी के नाम दर्ज है तथा प्रदर्श–2 नकल खसरा गिरदावरी संवत 2060 में काश्त भी बालाजी मंदिर मूर्ति की दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श–6 में खातेदारी बालाजी महाराज के नाम दर्ज है किन्तु काश्त संवत 2012– 2018, संवत 2028–2031 व संवत 2032–2035 में काश्त हरनाथ गोपीचन्द वगेरह की दर्ज है। खतोनी बन्दोबस्त संवत 2009 से 2023 में ख.न.34 में आराजीयात माफी श्री बालाजी महाराज व अ0पु0 हरनाथ व गोपी पि0 गेन्दीलाल जाति जोगी सा0देह अंकित है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज सबूत से उक्त मंदिर की काश्त गोपीचन्द बहैसियत पुजारी अंकित है किन्तु फर्द मौका जांच दिनांक 17.08.2004 बाबत् प्रार्थनापत्र आम जनता ग्राम नयागांव मंदिर भूमि के काश्त के सम्बन्ध में जांच भू–अभिलेख निरिक्षक नें की है जो प्रदर्श ए–1 है उसमें अंकित है कि विवादित आराजीयात मंदिरमूर्ति बालाजी के नाम दर्ज है तथा वर्तमान में मंदिर की सेवा पूजा रमेश पूत्र हजारी वैष्णव कर रहा है तथा मंदिर बालाजी की भूमि स्वयं रमेश द्वारा काश्त करायी जाती है। इस मंदिर की भूमि को ग्राम वासियों नें मंदिर की सेवा पूजा करनें वाले रमेश वैष्णव को पूजा व्यवस्थापक के लिए नियुक्त किया है। इस जांच रिपोर्ट पर नयागांव के ग्राम वासियों के तथा पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरिक्षक के हस्ताक्षर हो रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि मंदिर की कृषि की व्यवस्था ग्राम वासियों द्वारा की हुई है, जिससे सभी ग्रामवासी सहमत हैं। उक्त जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वर्तमान में विवादित आराजीयात की कृषि व्यवस्था ग्रामवासियों द्वारा प्रतिवादी नम्बर 6 रमेश द्वारा की जा रही है। इसकी पुष्टि में रमेश के बयान कराए हैं तथा दौरानें जिरह रमेश ने ग्रामवासियों की सहमति से पुजारी होना स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है

Signature Not Verified
Digitally signed by Damod
Date: 2025.09.17 10:28:44
Reason: Self Attested

कि प्रतिवादी नम्बर 6 वर्तमान में विवादित आराजीयात को बहैसियत पुजारी काश्त करवा रहा है। इस प्रकार इस तनकी को वादी सिद्व करनें में सफल नहीं रहा है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 : आया गोपीचन्द का नाम बहैसियत व्यवस्थापक या पुजारी मंदिर दर्ज नहीं होनें से मंदिर के स्वामित्व को आराजीयात के सम्बन्ध में दावा प्रस्तुत करनें का अधिकार न होनें से दावा खारिज किए जानें योग्य है।

(प्रतिवादीगण)

इस तनकी को सिद्व करनें का भार प्रतिवादी गण पर है। इस तनकी के सम्बन्ध में पूर्व में तनकी नम्बर 1 में विवेचन किया जा चुका है कि प्रतिवादी नम्बर 6 को ग्रामवासियों द्वारा मंदिर की भूमि को मंदिर की सेवा पूजा करनें के कारण काश्त व्यवस्था करनें के अधिकार प्रदान किए हैं। वादी भी पूर्व में मंदिर की सेवा पूजा करता था तथा काश्त करता था जैसा कि वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी व खसरा गिरदावरों से स्पष्ट है। चूंकि वर्तमान में ग्राम वासियों द्वारा वादी को पुजारी उक्त मंदिर का नियुक्त नहीं कर रखा है न ही वादी द्वारा मंदिर का पुजारी होनें बाबत् कोई दस्तावेजी सबूत देवस्थान विभाग का पेश नहीं किया है न ही ग्राम वासियों की रिपोर्ट पुजारी होने बाबत् पेश की है। चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में वादी मंदिर का पुजारी नहीं है तथा उसको दावा पेश करनें का भी अधिकार नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादी गण सिद्व करनें में सफल रहे हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है। न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु.) सवाई माधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 12.12.2007 से उक्त तनकीवार निर्णय कर वादी का वादपत्र खारिज किया गया था। वादी द्वारा उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के यहां प्रस्तुत करनें पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2010 को न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु.) सवाई माधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2007 को निरस्त कर उभय पक्ष को पूर्ण रूप से सुनवाई व साक्ष्य पेश करनें का अवसर दिया जाकर नियामानुकुल निर्णय पारित करनें का आदेश प्रदान किया गया।

Signature Not Verif
Digitally signed by Dam
Date: 2025.09.17 10:28:
Reason: SelfAttested

मा0 न्यायालय के निर्देश की पालना में प्रकरण की मूल पत्रावली य न्यायालय नवसृजित होनें पर इस न्यायालय में रिमान्ड से प्राप्त हुई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की तलवी की गई। वादी एवं प्रतिवादीगण को पुनः साक्ष्य एवं सबूत पेश करनें का समुचित

अवसर दिया गया। दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सबूत पेश करनें का कई बार अवसर दिए जानें के बाद भी वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करनें पर वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की गई।

प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी नें अपनें वादपत्र के अनुसार ही बहस करते हुए बताया है कि मंदिर मूर्ति बालाजी महाराज ग्राम नयागांव की सेवा पूजा वादी गोपीचन्द ही करता आया है तथा मंदिर मूर्ति के नाम खातेदारी भूमि ख.न. 424, 425 कुल रकबा 1.66है0 की काश्त भी वादी गोपीचन्द ही करता आया है। प्रतिवादी नम्बर 6 मंदिर की सेवा पूजा नहीं करता है न हीं मंदिर की भूमि की काश्त करता है। दिनांक 07.08. 2004 को भू अभिलेख निरिक्षक की मौका जांच रिपोर्ट प्रदर्श ए–1 सही नहीं है। ग्राम वासियों ने मिलकर गिरदावर से साठ गाठ कर यह रिपोर्ट तैयार की है जो विश्वसनीय नहीं है। संवत 2012–2018, 2028–2031 व 2031–2035 में काश्त हरनाथ गोपीचन्द वगैरह की दर्ज है। खतोनी बन्दोबस्त 2009–2023 में ख.न. 34 में आराजीयात माफी श्री बालाजी महाराज व अ0पु0 हरनाथ व गोपी पि0 गेन्दीलाल जोगी के नाम अंकित है। मंदिर की सेवा पूजा भी वादी ही करता आया है व काश्त भी वादी ही करता आया है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि मंदिर मूर्ति बालाजी महाराज की सेवा पूजा व खातेदारी की काश्त व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें न हीं अन्य से करावे।

वकील प्रतिवादीगण नें बहस में बताया कि गोपीचन्द पुत्र गेन्दया नाथ निवासी नयागांव मंदिर मूर्ति बालाजी ग्राम नयागांव का व्यवस्थापक या पुजारी नहीं है इसलिए उसे दावा पेश करनें का अधिकार नहीं है। मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा व मंदिर मूर्ति की खातेदारी भूमि की काश्त प्रतिवादी नम्बर 6 रमेश पुत्र हजारी बैरागी वैष्णव निवासी नयागांव करता है। ग्राम वासियों द्वारा एक समिति बना रखी है। समिति द्वारा प्रतिवादी नम्बर 6 को मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा के लिए नियुक्त कर रखा है अर्थात प्रतिवादी नम्बर 6 ही मंदिर का पुजारी है अ[illegible] वही मंदिर की खातेदारी भूमि की काश्त करता है। भू अभिलेख निरिक्षक की रिपोर्ट में भी प्रतिवादी नम्बर 6 ही मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा करता है व काश्त करता है। भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट तहसीलदार के आदेश से तैयार की गई जो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी है। तैयार की गई रिपोर्ट बिल्कुल सही है।। वादी गोपीचन्द की ओर से रिपोर्ट को चुनौती भी नहीं दी

Signature Not Verif
Digitally signed by Damo
Date: 2025.09.17 10:28:
Reason: SelfAttested

गई है इसलिए भी रिपोर्ट को गलत नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार गोपीचन्द पुत्र गेन्दया नाथ द्वारा मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा नहीं करना और न ही काश्त करना साबित है। अतः गोपीचन्द का वादपत्र खारिज फरमाया जावे। हमनें वकील उभय पक्ष की बहस का मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत 2057 में विवादित आराजीयात ख.न. 424 रकबा 1.61है0 , 425 रकबा 0.05है0 कुल किता 2 रकबा 1.66है0 भूमि मंदिर मूर्ति बालाजी ग्राम नयागांव के नाम दर्ज है। गिरदावरी संवत 2012–2018, 2028–2031 व 2031–2035 में काश्त हरनाथ गोपीचन्द वगैरह की दर्ज है। खतोनी बन्दोबस्त 2009–2023 में ख.न. 34 में आराजीयात माफी श्री बालाजी महाराज व अ0पु0 हरनाथ व गोपी पि0 गेन्दीलाल जोगी के नाम अंकित है लेकिन भू अभिलेख निरिक्षक की रिपोर्ट दिनांक 17.08.2004 के अनुसार मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा के लिए ग्राम वासियों द्वारा प्रतिवादी नम्बर 6 रमेश पुत्र हजारी बैरागी वैष्णव को नियुक्त किया गया है तथा रमेश बैरागी ही मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा करता है तथा यही मंदिर की खातेदारी भूमि की काश्त करता है। गोपीचन्द पुत्र गेन्दया नाथ की ओर से न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु.) सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 12.12.2007 की मा0 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के यहां प्रस्तुत अपील में उसके अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि तहसीलदार की ओर से भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा दिनांक 17.08.2004 बनाई गई रिपोर्ट के सम्बन्ध में न तो सुना गया और न ही रिपोर्ट पर गोपीचन्द के हस्ताक्षर है। जांच रिपोर्ट के लिए सुनावाई का अवसर दिया जाना चाहिए था तथा जांचकर्ता आई0एल0आर0/पटवारी को नहीं बुलाया गया। गोपीचन्द (वादी) को इस न्यायालय द्वारा सुनावाई व सबूत का समुचित अवसर दिया गया किन्तु प्रकरण की सुनवाई के दौरान गोपीचन्द की ओर से आई0एल0आर0/पटवारी हल्का की रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी गई न हीं भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को बतोर साक्षी न्यायालय में प्रति परीक्षा के लिए तलब कराया है साथ ही न ही मौका रिपोर्ट पुनः तलब कराने के लिए न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे दोनो रिपोटों में विरोधावास हो सके इस प्रकार भू अभि निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.08.2004 अखण्डनीय व अकाट्य रही है। गोपीचंद द्वारा मन्दिर के लिए भूमि पर काबिज होकर काश्त करना व मन्दिर की सेवा पूजा करना उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से कतई साबित नही है जबकि

Signature Not Verifi
Digitally signed by Dano
Date: 2025.09.17 10:28:
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत साक्ष्य व मौका रिपोर्ट प्रदर्श – ए1 से यह पूर्ण रूप से साबित है कि मन्दिर की और से प्रतिवादी संख्या 6 रमेश मौके पर भूमि काश्त करता है एवं मन्दिर मूर्ति की सेवा पूजा करता है इसके समर्थन में वकील प्रतिवादीगण ने माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निम्न उद्धरण भी प्रस्तुत किये है।आर.आर.डी 1993 डी.वी. पेज 649 , आर.आर.डी 1998 डी.वी. पेज 523 इन दोनो नजीरो में माननीय राजस्व मण्डल ने यह निर्धारित किया है कि कोई व्यक्ति दावा दायरी के दिन यदि वादन्तर्गत भूमि पर काबिज नही है वह रिकाडेर्ड ,खातेदार नही है तो धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उसे दावा लाने का अधिकार नही है। हम वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दोनो न्यायिक दृष्टान्तों से सहमत है। भू अभिलेख निरिक्षक की जांच रिपोर्ट एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार मंदिर मूर्ति बालाजी महाराज विराजमान ग्राम नयागांव की सेवा पूजा तथा मन्दिर की खातेदारी भूमि को प्रतिवादी नम्बर 6 रमेश पुत्र हजारी बैरागी वैष्णव द्वारा काश्त करना बखुबी साबित है। सहायक कलेक्टर (मु.) सवाई माधोपुर द्वारा पूर्व में दिनांक 12.12.2007 को तनकीवार दिया गया निर्णय सही है क्योंकि वादी गोपीचन्द द्वारा न्यायालय में वर्तमान में पुजारी होना व मंदिर की खातेदारी भूमि की काश्त करनें सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। उक्तनुसार वादी गोपीचन्द का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर गोपीचन्द पुत्र गेन्दया जाति जोगी निवासी नयागॉव द्वारा मन्दिर मूर्ति बालाजी महाराज विराजमान ग्राम नयागॉव की और से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04..2015 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damoda
Date: 2025.09.17 10:28:44
Reason: SelfAttested

(कन्हैयालाल मीमरोट)
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा